OFFICE OF THE PRINCIPAL,
GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, PURNEA

Line Bazar Purnea – 854301 (Bihar)

(An Institution of Govt. of Bihar)

write us : govt.mcpurnea@gmail.com Visit us : https://gmchpurnea.com

Letter No....610....

Date:30../08/2024

-:अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचनाः-

सरकार के उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-1241 (1) दिनांक-14/09/2016 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ के छात्र-छात्राओं को पी०एस०एम० विभाग के अन्तर्गत family Adoption एवं ग्रामीण प्रशिक्षण हेतु कॉलेज से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाने एवं वापस लाने हेतु वाहय स्त्रोत से किराये पर बस (32/20 सीटों वाली) ए०सी०/नन ए०सी० बस, इनोवा एवं स्कॉर्पियो की सेवा हेतु इच्छुक वाहन मालिकों/स्वंयसेवी संस्थाओं से मुहरबन्द लिफाफे में सील्ड निविदा राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रथम प्रकाशन की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर निबंधित/स्पीडपोस्ट के माध्यम से कार्यावधि 10:00 बजे पूर्वाह्न से संध्या 5:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा दो तरह की होगी। **(क) तकनिकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा।** दोनों अलग-अलग लिफाफे में सील्ड कर पुनः उसे बड़ें लिफाफे में सील्ड कर उस पर किस मद के लिए निविदा दिया जा रहा है, अंकित कर प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ को भेजना होगा। निविदा टंकित/कम्प्युटराईज होना चाहिए। हस्तलिखित तथा उदघर्षण एवं लिप्त लेखन वाले निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि की अगले तिथि को निविदा क्रय समिति के द्वारा खोली जायेगी। उक्त तिथि को अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदा की विस्तृत जानकारी https://gmchpurnea.com पर देखें अथवा कार्यालय से सम्पर्क करें।

(क) तकनिकी निविदाः- इसके तहत् निम्न कागज़ात संलग्न करने होंगे।

(1) निविदा के साथ अग्रधन मो० 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ के पदनाम से भुगतेय संलग्न करना होगा।

(2) तकनिकी निविदा के साथ बस मालिक/फर्म/प्रोपराईटर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, अद्यतन आयकर रिटर्न एवं GST रजिस्ट्रेशन संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(3) तकनिकी निविदा के साथ महाविद्यालय/सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों/मिशनरी विद्यालय में कार्य करने के अनुभव तथा कार्य संतोषजनक किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(4) निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं रहने का शपथ पत्र तकनिकी निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ख) वित्तिय निविदाः- वित्तीय निविदा में बस/इनोवा एवं स्कॉर्पिया (बस ए०सी०/नन ए०सी० 32/20 सीटों वाली का अलग-अलग) का भाड़ा (चालक+खलासी का पारिश्रमिक सहित) मासिक/प्रति किलोमीटर स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। किसी भी परिस्थिति में वाहय स्त्रोत से सेवा लेने की दर बिहार पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होना चाहिए।

निविदा के नियम एवं शर्त्तेः-

(1) सफल निविदादाता को चालक एवं खलासी का बायो-डाटा तथा चालक व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस प्रस्तुत करना होगा।

30/08/24 30/8/24

प्राचार्य

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ।

(2) वित्तीय निविदादाता स्वीकृति पश्चात् कार्यादेश निर्गत तिथि से 15 दिनों के अन्दर बस उपल्ब्ध कराना आवश्यक होगा।

(3) सरकार (श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना) के मापदण्ड के अनुसार चालक एवं खलासी को न्यूनतम् दैनिक मज़दूरी का भुगतान करना होगा तथा ई०पी०एफ० आदि कटौती नियमानुसार करना होगा।

(4) बस के रख/रखाव, परिचालन, मरम्मति, डीजल, मोबिल एवं अन्य सभी प्रकार का व्यय बस मालिक को स्वयं वहन करना होगा, इसके लिये किसी प्रकार की अलग से राशि देय नहीं होगी।

(5) बस का परिचालन अद्योहस्ताक्षरी के आदेशानुसार प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 8:00 से अपराहन् 4:00 बजे तक करना होगा। विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार किसी भी समय बस की सेवा ली जा सकती है। किसी भी दिन परिचालन निविदादाता द्वारा बंद करने पर मो० 1000/- (एक हजार) रूपये प्रतिदिन के दर पर कटौती किया जायेगा।

(6) सेवा संतोषजनक नहीं होने पर वाहन खराब हो जाने पर, वाहन मालिक का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरी वाहन उपलब्ध करायेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस भाड़े का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(7) निविदा 3 (तीन) वर्ष के लिये होगी। कॉलेज/क्रय समिति के निर्णयानुसार अवधि विस्तार किया जा सकता है।

(08) सफल निविदादाता को अद्योहस्ताक्षरी से एकरारनामा करना होगा।

(09) नियमानुसार टैक्स की कटौती संवेदक के विपत्र से किया जायेगा।

(10) बिहार सरकार से प्राप्त आवंटन से विपत्र का भुगतान किया जायेगा। कतिपय कारणों से आवंटन नहीं रहने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में विपत्र का भुगतान में विलम्ब हो सकता है। विलम्ब के लिये किसी प्रकार का सूद/ब्याज देय नहीं होगा।

(11) बस अपेक्षाकृत नया तथा हर तरह से दुरूस्त होना चाहिए।

(12) जिस निविदादाता को तकनीकी निविदा विहित शर्त्तों के अधीन पायी जायेगी, उन्हीं के वित्तीय निविदाओं को क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा।

(13) क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा। अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी/सभी निविदा को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(14) किसी तरह के विवाद का निपटारा, पूर्णियाँ न्यायालय में होगा।

(15) अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(16) क्रय समिति के समक्ष अद्योहस्ताक्षरी के कक्ष में तकनीकी निविदा में खोली जायेगी।

(17) निविदा के सभी पृष्ठ पृष्ठांकित करते हुए विस्तृत उल्लेख अग्रसारण पत्र पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा।

30/8/24

30/8/24

प्राचार्य

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ

Scanned with OKEN Scanner